उत्तरांचल शासन
वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त
जलागम विकास

संख्या 45 / एस0ओ0एफ0आर0डी0सी0/जलागम
देहरादून दिनांक मार्च 17, 2001

कार्यालय ज्ञाप

जलागम विकास परियोजनाओं में समन्वय, अनुश्रवण एवं परियोजना निर्माण के लिए अन्तर विभागीय टास्कफोर्स के गठन विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जलागम विकास हेतु चालू पंचवर्षीय योजना में केन्द्र सरकार के स्तर पर पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया गया है. अतः केन्द्र सहायतित परियोजनाओं के माध्यम से उत्तरांचल राज्य में जलागम विकास को काफी गति प्रदान की जा सकती है.

2. वर्तमान में जलागम विकास का कार्य प्रदेश में विभिन्न विभागों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से कृषि, भूमि एवं जल संरक्षण, ग्राम्य विकास एवं वन विभाग सम्मिलित है किन्तु वर्तमान में विभागों में राज्य स्तर पर समन्वय का अभाव है. अतः सभी सम्बन्धित विभागों में घनिष्ठ समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से एक अन्तर विभागीय टास्क फोर्स का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

(I)	सचिव जलागम एवं कृषि/ मुख्य परियोजना निदेशक आई0डब्लू0डी0पी0	अध्यक्ष
(II)	परियोजना निदेशक आई0डब्लू0डी0पी0 शिवालिक	सदस्य
(III)	अपर कृषि निदेशक	सदस्य
(IV)	मुख्य वन संरक्षक आर0वी0पी0	सदस्य
(V)	स्टाफ आफिसर एफ0आर0डी0सी0/ संयुक्त सचिव (जलागम)	सदस्य
(VI)	अपर सचिव वन/ प्रभारी भूमि सर्वेक्षण निदेशालय	सदस्य सचिव

3. उपरोक्त टास्क फोर्स का मुख्य कर्तव्य प्रदेश में संचालित जलागम विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं जो चाहे किसी भी स्रोत से वित्त पोषित की जा रही हो, में आवश्यक सम्न्वय स्थापित करना होगा. इस टास्क फोर्स का कार्यालय भूमि सर्वेक्षण निदेशालय में स्थापित किया जायेगा और इस कार्यालय के संचालन हेतु सभी विभागों से प्रशासनिक एवं वित्तीय संसाधनों की पूर्तिग की जायेगी.

4. इस टास्क फोर्स द्वारा वन एवं ग्राम्य विकास आयुक्त शाखा के अन्तर्गत सम्मिलित सभी विभागों द्वारा अब तक संचालित एवं वर्तमान में संचालित सभी जलागम विकास

परियोजनाओं के संबंध में जनपदवार, वाटरशेडवार, माइक्रोशेडवार सूचना मानचित्र के साथ निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जायेगी एवं साथ ही साथ यह भी इंगित किया जायेगा कि वर्तमान में कहां गेप्स अवस्थित है. इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में जलागम विकास परियोजनाओं के संबंध में इस स्टेटस पेपर को बनाने का कार्य दिनांक 31 मार्च 2001 तक पूर्ण कर लिया जायेगा.

5. मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में किसी भी विभाग द्वारा जलागम विकास के संबंध में कोई भी परियोजना बिना इस टास्क फोर्स के सहमति के वित्त पोषण हेतु केन्द्र सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं को प्रेषित नहीं की जायेगी.

6. केन्द्र सरकार स्तर पर गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी जलागम विकास हेतु कार्यकारी संस्थाओं के रूप में उपयोग में लाया जा रहा है. अतः यह उचित होगा कि इस टास्क-फोर्स द्वारा ऐसे गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं को भी, जो जलागम विकास की परियोजना का कार्य कर रहे हों, उन्हें परियोजना को तैयार करने में यथा आवश्यक मदद की जाय एवं उन्हें वांछित सभी सूचनाएं उपलब्ध करा दी जॉय. साथ ही गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थाओं के लिए भी यह आवश्यक होगा कि वे अपनी परियोजनाओं को वित्त पोषण हेतु भेजने से पूर्व टास्क-फोर्स से सहमति प्राप्त कर लेवें.

उक्त टास्क-फोर्स के कार्यों में गति प्रदान करने एवं उसे मार्ग दर्शन हेतु राज्य स्तर पर निम्नानुसार एक राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति का गठन किया जाता है:-

(I)	प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास	अध्यक्ष
(II)	सचिव वन	सदस्य
(III)	अपर सचिव कृषि	सदस्य
(IV)	अपर सचिव ग्राम्य विकास	सदस्य
(V)	अपर सचिव उद्यान	सदस्य
(VI)	गैर सरकारी स्वंय सेवी संस्थाओं के नामित प्रतिनिधि	सदस्य
(VII)	सचिव कृषि एवं जलागम/मुख्य परियोजना निदेशक - आई0डब्ल्यू0डी0पी0	सदस्य सचिव

उक्त समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बार बैठक करेगी एवं प्रदेश में जलागम विकास के संबंध में नीति निर्धारण एवं जलागम विकास के कार्यों की समीक्षा का कार्य करेगी. इस समिति का मुख्य दायित्व यह होगा कि जलागम विकास हेतु ऐसी नीति निर्धारण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय जिसमें सभी संबंधित विभागों के समन्वय के साथ-साथ ग्राम स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की भी अधिकाधिक भागेदारी सुनिश्चित की जा सके.

इसके साथ-साथ राज्य में जलागम विकास एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा चलाये जा रहे स्वरोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यों का भी केन्द्राभिमुखीकरण (Convergence) आवश्यक है. राज्य स्तरीय जलागम विकास समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि जलागम विकास की परियोजनाओं के

साथ ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न केन्द्र पोषित कार्यक्रमों की किस प्रकार डवटेलिंग की जा सकती है एवं तद्नुसार आय-व्यय में यथा आवश्यक राज्यांश का प्रावधान भी करा दिया जाय, जिससे प्रदेश में जलागम विकास हेतु अधिकाधिक केन्द्रीय सहायता प्रदेश को प्राप्त हो सके.

(डा० आर०एस० टोलिया)
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त

संख्या 45 (1) / एस०ओ०एफ०आर०डी०सी०/जलागम तद्दिनांक

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. समस्त सदस्य टास्क-फोर्स.
2- समस्त सदस्य राज्य स्तरीय जलागम प्रबंध समिति.
3- समस्त विभागाध्यक्ष/ अपर निदेशक वन एवं ग्राम शाखा.
4- समस्त जिलाधिकारी.
5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी.
6- स्टाफ आफिसर वन एवं ग्राम आयुक्त शाखा.

आज्ञा से,

B Pandey 17/3/2001
(बी०पी० पाण्डे)
सचिव